भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 907

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के कारण अपरदन

907. श्री अबू ताहेर खानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का, शमशेरगंज, सूती और जंगीपुर क्षेत्रों में गंगा नदी के किनारे हो रहे भीषण नदी अपरदन की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में अपरदन-रोधी और नदी तट संरक्षण कार्यों के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के अपरदन की समस्या के समाधान के लिए किसी व्यापक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): कटाव और जमाव प्राकृतिक भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ हैं जो गंगा जैसी नदियों के सभी जलोढ़ हिस्सों में होती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने एक समिति का गठन किया था जिसका काम गंगा-पद्मा नदी प्रणाली से पश्चिम बंगाल में होने वाले कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने हेतु संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करना था। समिति की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ साझा की गई है। वर्ष 1988-2023 की अवधि के आंकड़ों के आधार पर, समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि गंगा-पद्मा नदी प्रणाली के किनारे, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में, 10,244 हेक्टेयर भूमि का कटाव और 12,411 हेक्टेयर भूमि पर जमाव हुआ है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार की बाढ़ प्रबंधन परियोजना, नामत: - "मुर्शिदाबाद जिले के कांडी और आसपास के अन्य इलाकों में तटबंधों एंव अनुषंगी कार्यों में बृद्धि (डब्ल्यूबी-18)" - जिससे मुर्शिदाबाद जिले को लाभ हुआ है, उसे वर्ष 2021-22 में 44.15 करोड़ रुपये और वर्ष 2026-27 में 14.278 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मुहैया करवाई गई है।

इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन एक अधीनस्थ संगठन, फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी), फरक्का बैराज और उससे जुड़ी संरचनाओं की सुरक्षा के लिए एफबीपी की तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र (फरक्का बैराज के अपस्ट्रीम में 12.5 किमी और डाउनस्ट्रीम में 6.9 किमी तक) के गंभीर हिस्सों में नदी के किनारे सुरक्षा/कटाव-रोधी कार्य करता है। एफबीपी ने पिछले पांच वर्षों में मुर्शिदाबाद में अपने अधिकार क्षेत्र में 5.60 करोड़ रुपये के नदी के किनारे की सुरक्षा/कटाव-रोधी कार्य किए हैं।
